

पत्रांक 1/48/निविदा-सह-नीलामी/12-13-स्मा0

भारत सरकार

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  
पटना अंचल, जे0 सी0 रोड

पटना, दिनांक

## निविदा-सह-नीलामी सूचना

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उप अंचल, अंतीचक के अन्तर्गत संरक्षित स्थल अंतीचक, पोस्ट-पथरघट्टा, जिला-भागलपुर में विभागीय भूमि पर खड़े फल के पेड़ों (आम-160 लगभग, कटहल-05 लगभग) के फलों की देख-रेख, साफ सफाई एवं तोड़ने हेतु निविदा-सह-नीलामी दिनांक **01.06.2016** से **31.08.2016** तक की अवधि के लिए मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक उम्मीदवार बोली लगाने के संदर्भ में नियम व शर्तें तथा निविदा प्रपत्र 500/- (**पाँच सौ रूपया**) मात्र का भुगतान कर (जो लौटाया नहीं जाएगा) संरक्षण सहायक का कार्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप अंचल, अंतीचक और अधीक्षण पुरातत्वविद् का कार्यालय, पटना अंचल से दिनांक **10 मई 2016** से **26 मई 2016** तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं। सभी निविदा प्रपत्र दिनांक **27 मई 2016** को **03:00 बजे अपराह्न तक** अधीक्षण पुरातत्वविद् का कार्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना में जमा करना होगा। उसी दिन **3.30 बजे अपराह्न** में अधीक्षण पुरातत्वविद् का कार्यालय कक्ष, पटना में उपस्थित निविदा दाताओं व बोली लगाने वालों के समक्ष निविदा प्रपत्र खोली जाएगी और बोली लगायी जाएगी।

प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ **5000/- रूपये (पांच हजार रूपये) मात्र** का डिमान्ड ड्राफ्ट (अर्नेस्ट मनी के रूप में) अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना, जिसका भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक पटना के नाम देय हो, जमा करना होगा। बिना अर्नेस्ट मनी के निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा-सह-नीलामी में उच्चतम राशि बोलने वाले सफल व्यक्ति को प्रस्तावित राशि का **50 प्रतिशत तत्काल तथा 50 प्रतिशत एक सप्ताह के अन्दर जमा करना** होगा। भुगतान समयावधि में जमा नहीं किये जाने पर उनकी निविदा/उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। निविदा प्रपत्र के साथ 5000/- रूपये (पांच हजार रूपये) मात्र, जो अर्नेस्ट मनी की राशि है, सफल निविदा प्राप्तकर्ता को निविदा की अवधि **31.08.2016 के बाद लौटायी** जाएगी। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी बेवसाइट [www.asipatna.com](http://www.asipatna.com) पर प्राप्त कर सकते हैं।

अधीक्षण पुरातत्वविद् को किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार है।

  
अधीक्षण पुरातत्वविद्